

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा. जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

—: ज्ञापन :—

क्रमांक 4107/वाचक-1/2017

जांजगीर दिनांक 13.12.2017

प्रति,

1912-17

कलेक्टर

सूचना के अधि. शाखा
जांजगीर-चांपा

विषय :- सूचना के अधिकार अंतर्गत बिन्दुवार जानकारी बाबत

विषयांगत के संबंध में सूचना के अधिकार अन्तर्गत बिन्दुवार जानकारी क्रमांक 1 से 17 तक निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जा रही है।

संलग्न :- एक

अनुविभागीय अधिकारी
रा. जांजगीर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अनुसार 17 श्रेणियां

क्रं.	बिन्दु	जानकारी
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	जिला कार्यालय को प्रति माह जानकारी भेजी जाती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्रों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जाना
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाता है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	जिला कार्यालय द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी तहसीलों से प्राप्त कर तथा एकजाई कर भेजी जाती है।
5	आपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के लिए प्रयोग किये गए नियम, विनियम, अनुदेश और अभिलेख	शासन के निर्देशानुसार एवं प्राप्त अनुदेश अनुसार कार्यवाही किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में है।	कार्यालय द्वारा संबंधित नस्तियां संधारित है। एवं लिपिक द्वारा नस्ती का रख रखाव किया जाता है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण, जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निरंक
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह निववरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	नहीं
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	श्री अजय उरांव, अनुविभागीय अधिकारी रा. जांजगीर लिपिक- आर.पी.गोस्वामी स.ग्रे.-2

	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित, परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट	शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्य(मों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्य(मों के लाभार्थियों का ब्यौरा	निरंक
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्रापतकर्ताओं का वितरण	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा	नहीं
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	जानकारी कार्यालय के सूचना पलक पर अंकित किया जाता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	श्री अजय उरांव, अनुविभागीय अधिकारी रा. जांजगीर
17	अन्य जानकारियों।	यथा समय अपडेट किया जायेगा

अनुविभागीय अधिकारी रा.

जांजगीर